राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3319/2024

प्रहलाद मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना वृत, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.11.2024
आदेश की दिनांक : 14.11.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 14.07.1998 को हुई थी। दस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ वर्ष 2008 में स्वीकृत किाय गया। वर्ष 2010 में अपीलार्थी को अधिशाषी अभियन्ता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.01.2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी के अधिशाषी अभियन्ता पद पर पदस्थापन की अवधि में दिनांक 04.05.2015 से दिनांक 02.09.2015, 06.06.2016 से 05.07.2016 एवं 08.02.2021 से 20.04.2021 तक की अवधि में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। उक्त अवधि में मात्र प्रशासनिक आधार पर पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया था। अपीलार्थी की उक्त पदस्थापन प्रतीक्षा की अवधि का नियमितिकरण नहीं होने के कारण अपीलार्थी का पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में वेतन निर्धारण भी अभी तक नहीं किया गया है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि को नियमित किये जाने हेतु दिनांक 08.07.2022, 17.10.2022, 17.11.2022, 28.11.2022, 15.11.2022, 14.02.2023, 22.03.2023, 22.05.2023 एवं दिनांक 17.08.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी का उक्त

पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि का नियमितिकरण नहीं होने के कारण अपीलार्थी को 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर देय द्वितीय एसीपी भी स्वीकृत नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी की उक्त पदस्थापन की प्रतीक्षा की अवधि को नियमित किया जाकर उक्त अवधि के वेतन का भुगतान किये जाने, पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 में अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किये जाने, 20 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर द्वितीय एसीपी स्वीकृत किये जाने, पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं एसीपी स्वीकृत की जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को इस संबंध में दिनांक 30.05.2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग में लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य